

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 182 द्वारा-श्री कैलाश चावला के प्रश्नांश (ख) का परिशिष्ट

विषय- श्री कैलाश चावला माननीय विधायक मनासा द्वारा पत्र में उल्लेखित की गई कमियों के निराकरण की दिशा में की गई कार्यवाही का विवरण -

सरल क्रमांक	बिन्दुओं का विवरण	विधान सभा प्रश्न में दी जाने वाली जानकारी									
1	स्वीकृत पदों के विरुद्ध 17 गेस्ट फेक्लटी के शिक्षकों को नियुक्त किया जाना है। जिसकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई परिणामस्वरूप ट्रेड की पढ़ाई नहीं हो पा रही है।	17 मेहमान प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर ली गई है।									
2	ट्रेड की थ्योरी पढ़ाई हेतु वहाँ अध्ययनरत छात्र संख्या तथा ट्रेड की संख्या देखते हुए आवश्यक कक्ष भी उपलब्ध नहीं हैं परिणामस्वरूप थ्योरी की पढ़ाई नहीं की जा रही है इस हेतु आवश्यक कक्षाओं के निर्माण की आवश्यकता है।	संस्था में संचालित व्यवसायों के लिये 11 सैद्धांतिक कक्ष की व्यवस्था कर दी गई है। नियमित व्यवस्था हेतु 05 सैद्धांतिक कक्षाओं के नवीन निर्माण के लिए निर्माण एजेन्सी से प्रॉक्कलन प्राप्त किये जा रहे है।									
3	वर्कशॉप के शोड इतने खराब हैं कि बारिश का पानी उसमें टपक रहा है व विगत परीक्षा में छात्रों को वर्कशॉप में बैठकर फर्श पर तीन इंच पानी होते हुए परीक्षा देनी पड़ी थी व उनकी उत्तर पुस्तिका भी पानी में भीग रही थी परिणामस्वरूप वर्कशॉप के शोड की रिपेयरिंग किया जाना अत्यंत आवश्यक है।	संचालनालय द्वारा निम्न विवरण अनुसार सिविल वर्क्स की स्वीकृति जारी की गई है :- <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>वर्कशॉप रिपेयरिंग (मोटर मेकेनिक, ट्रेक्टर मेकेनिक)</td> <td>राशि रु. 19.95 लाख</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>वर्कशॉप रिपेयरिंग (फिटर)</td> <td>राशि रु.16.81 लाख</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>आईटीआई भवन रिपेयरिंग (डिस्पेंसरी सहित)</td> <td>राशि रु.19.97 लाख</td> </tr> </table>	1	वर्कशॉप रिपेयरिंग (मोटर मेकेनिक, ट्रेक्टर मेकेनिक)	राशि रु. 19.95 लाख	2	वर्कशॉप रिपेयरिंग (फिटर)	राशि रु.16.81 लाख	3	आईटीआई भवन रिपेयरिंग (डिस्पेंसरी सहित)	राशि रु.19.97 लाख
1	वर्कशॉप रिपेयरिंग (मोटर मेकेनिक, ट्रेक्टर मेकेनिक)	राशि रु. 19.95 लाख									
2	वर्कशॉप रिपेयरिंग (फिटर)	राशि रु.16.81 लाख									
3	आईटीआई भवन रिपेयरिंग (डिस्पेंसरी सहित)	राशि रु.19.97 लाख									
4	मशीन शाखा में यह बताया गया कि स्टेपलाईजर न होने से मशीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। स्टेबलाइजर खरीदी की कार्यवाही की जाना आवश्यक है।	20 केव्हीए का एक स्टेबलाइजर क्रय के लिए आदेश जारी किये गये।									
5	कम्प्यूटर शाखा में कम्प्यूटर व प्रिन्टर जो उपलब्ध कराए गए उनका उपयोग ऑफिस के काम लिया जा रहा है इसलिए ट्रेड के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर से परिचय कराने व उसका संचालन करने का कोई अवसर उपलब्ध है बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त कर सके यह प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है।	निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कम्प्यूटर्स की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है।									
6	मोटर ट्रेड में मोटर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है किंतु मोटर ड्रायवर हेतु कोई वाहन संस्था के पास उपलब्ध नहीं है और मोटर के इंजन संबंधी जानकारी दिये जाने हेतु कोई पुराना वाहन भी उपलब्ध नहीं है जिससे उसका प्रशिक्षण कराया जा सके। ट्रेक्टर ट्रेड में संस्था के पास कोई ट्रेक्टर नया या पुराना उपलब्ध नहीं है इस ट्रेड का प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाए प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है।	एक ट्रेक्टर के क्रय के लिये क्रय आदेश जारी किये गये है।									
7	संस्था रामपुरा में आईएमसी न होना।	नवीन आईएमसी का गठन प्रक्रिया में है।									
8	पीने की पानी की व्यवस्था न होना।	संचालनालय द्वारा आर0ओ0 एवं वाटर कुलर क्रय किये गये है, जो संस्था को प्राप्त हो गये हैं।									
9	संस्था में स्टॉफ रूम न होना।	स्टॉफ रूम उपलब्ध करा दिया गया है।									
10	संस्था रामपुरा में ट्रेड की पढ़ाई हेतु स्टेशनरी कागज, रजिस्टर, कार्बन पेपर, आलपिन, आदि एवं ट्रेड सिखाने हेतु वायर, प्रिन्टींग पेपर जैसी	आवश्यक नियमित उपयोग में आने वाले वस्तु संबंधित प्रशिक्षण अधिकारियों एवं कार्यालयीन कर्मचारियों को उपलब्ध करा दी गई है।									

संक्रमांक	बिन्दुओं का विवरण	विधान सभा प्रश्न में दी जाने वाली जानकारी
	आवश्यक नियमित उपयोग में आने वाले वस्तु उपलब्ध नहीं हैं।	
11	स्टॉफ के लोगो द्वारा यह भी जानकारी दी गई विगत दो वर्षों से यात्रा भत्ता देयकों का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।	बजट उपलब्ध कर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
12	संस्था रामपुरा के पुरे भवन की पुताई नहीं हुई एवं भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। मेरे मत में जो महानुभव प्राचार्य का कार्य देख रहे है वे इस पद के कर्तई योग्य नहीं है किसी उचित एवं सक्षम प्राचार्य की नियुक्ति किया जाना अतिआवश्यक है। संयुक्त संचालक द्वारा बैठक के दौरान ही मुझे जानकारी दी गई है कि प्राचार्य द्वारा उनका नम्बर रिजेक्ट लिस्ट में डाला हुआ है फोन लगाने पर चर्चा नहीं कर पाते है प्राचार्य इनके निर्देशो का पालन भी नहीं करते है मेरे द्वारा इस पत्र में जिन उपरोक्त बातो का वर्णन किया गया है यहां उक्त संस्था की लगभग 50 प्रतिशत दुरव्यवस्था है। इस बारे में संयुक्त संचालक के माध्यम से प्रेषित प्रस्तावो को निकालकर उन्हे स्वीकृत किया जाए।	रिपेयर्स के लिये राशि रूपये 56.73 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

संचालक
कौशल विकास